



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 36 राँची, बुधवार

9 अग्रहायण, 1944 (श०)

30 नवम्बर, 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 371-396 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2022

संख्या-15/सा०अव०-03-02/2021 का.-6753--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-8489 दिनांक-14.12.2021 के द्वारा वर्ष 2022 में भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर दिनांक **26.10.2022 (बुधवार)** को कार्यपालक के तहत अवकाश घोषित है।

2. विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा का पर्व दिनांक 27.10.2022 (गुरुवार) को मनाया जायेगा।

अतः वर्ष 2022 में भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर कार्यपालक के तहत दिनांक **26.10.2022 (बुधवार)** को घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक **27.10.2022 (गुरुवार)** को अवकाश घोषित किया जाता है।

दिनांक-26.10.2022 (बुधवार) को राज्य सरकार के सभी कार्यालय सामान्य कार्यदिवस के भाँति खुले रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

संख्या-1/विविध-837/2005 कां- 6144--श्री राहुल शर्मा, भा०प्र०से० (झा:1998), सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 06.10.2022 से 10.10.2022 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति, दिनांक 02.10.2022 से 05.10.2022 तक के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2022

संख्या-1/विविध-886/2005 कां- 6128--श्रीमती हिमानी पाण्डे, भा०प्र०से० (झा:1998), सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 06.10.2022 एवं 07.10.2022 तक कुल 02 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 01.10.2022 से 05.10.2022 तक के सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग एवं दिनांक 30.09.2022 की संध्या से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,

सरकार के उप सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

21 नवम्बर, 2022

अधि० सं०-5/प्रशि०(स्था०)-370/2017श्र०नि०-1775--उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो के पत्रांक-2537 दिनांक-09.08.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मो. इमरान फारूकी, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो-सह-तत्कालीन केन्द्राधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो एवं श्री धनंजय कुमार, तत्कालीन नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-सह-तत्कालीन केन्द्राधीक्षक, बोकारो प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालापत्थर, बोकारो के द्वारा अखिल भारतीय व्यवसायिक (शिल्प) द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा, 2017 दिनांक-05.08.2017 को प्रथम पाली की सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान छापामारी दल के द्वारा जाँच के क्रम में केन्द्राधीक्षक एवं प्राचार्य की संलिप्तता के प्रतिवेदित आरोपों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया ।

विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उपर्युक्त उल्लेखित दोनों पदाधिकारियों के द्वारा परीक्षा संचालन में बरती गयी लापरवाही के अनुसार झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध “निन्दन” की सजा अधिरोपित की जाती है ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2022

अधि. सं०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०(वी०)-4002/2007खण्ड)श्र०नि०---राज्यकर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/संशोधित सुनिश्चितवृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग के संकल्प सं०-2981/वि०दिनांक-01.09.2009 एवं अनुवर्ती संकल्पों में निहित प्रावधानों एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-22.08.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,झारखण्ड के अधीनस्थ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि एवं वेतनमान में स्तभ 4 (चार) के अनुसार सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन संशोधितसुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है:

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	नियुक्ति की तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की तिथि/वेतनमान
1	2	3	4
1	डा० प्रकाश चन्द्र (सेवानिवृत्त एवं मृत्यु उपरांत)	<u>21-03-1979</u> 30-11-2009	प्रथम ए०सी०पी०-09-08-99 के प्रभाव से -8000-13500 द्वितीय ए०सी०पी०-21-03-2003 के प्रभाव से-12000-375-16500 तृतीय ए०सी०पी० 21-03-2009 के प्रभाव से-37400-67000 PB-IV- 8700]लेवल-13
2	डा० इन्द्रजीत कुमार सिन्हा (सेवानिवृत्त)	<u>11-09-1987</u> 30-06-2020	तृतीय ए०सी०पी०-11-09-2017 के प्रभाव से-37400-67000 PB-IV- 8700]लेवल-13
3	डा० पदमलता सिन्हा(सेवानिवृत्त)	<u>02-02-1989</u> 31-12-2021	तृतीय ए०सी०पी०-02-02-2019के प्रभाव से-37400-67000 PB-IV- 8700]लेवल-13

2. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के दौरान संबंधित पदाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2981/वि०दिनांक-01.09.2009 में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन औपबंधिक रूप से अधोलिखित शर्तों के अन्तर्गत देय है।
3. यह उत्क्रमण व्यक्तिगत है जिसका उनकी पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। संवर्ग में कनीय पदाधिकारी को एम०ए०सी०पी० योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान/ग्रेड वेतन प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण/वेतनमान का संरक्षण देय नहीं होगा।
4. ए०सी०पी० योजना दिनांक-09.08.1999 एवं एम०ए०सी०पी० योजना दिनांक-01.09.2008 से प्रभावी है। इस योजना के लागू होने के पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं होगा।
5. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।
6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान (वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन) के आधार पर संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक पेंशनादिकी सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
7. उपर्युक्त सूची में अंकित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पदाधिकारियों के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
8. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जया रेचल मिंज,
सरकार के अवर सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग-----
अधिसूचना

23 नवम्बर, 2022

अधि.सं.-01/स्था.श्र.नि.प्र०(सा.)-01-03/2022श्र०नि०-1794--राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के ज़ापांक-1734, दिनांक-16.06.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री पुनीत मिंज तत्कालीन सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-श्रम अधीक्षक, सिमडेगा द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन, 2022 के द्वारा केरसई प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या-55 में चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न हुई। फलस्वरूप श्री मिंज को त्रिस्तरीयपंचायत (आम) निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के आलोक में मो. 500/- रु. अर्थ दण्ड अधिरोपित की जाती है।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2022

अधि०सं०-02/स्था.श्र.नि०प्र.(तकनीकी)-15-54/2022श्र०नि०-1793--विभागीय अधिसूचना सं०-554 दिनांक-01.04.2022 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2022 के भाग-3, कंडिका-8 (क) एवं (ख) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता की कंडिका-घ में उल्लेखित द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा के खण्ड 'ए' एवं 'बी' में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शैक्षणिक रूप से योग्य माने जायेंगे इसका उल्लेख है।

2. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-1927 (s) we, दिनांक-27.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि AICTE के नीति के आलोक में Institute of Civil Engineers & Institute of Mechanical Engineers (India) द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता झारखण्ड राज्य में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के मामले में नहीं देने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार पथ निर्माण विभाग के अनुरूप में नियमावली के भाग-3, कंडिका-8 (क) एवं (ख) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता की कंडिका-घ में उल्लेखित द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के एसोशिएट मेम्बरशिप परीक्षा के खण्ड 'ए' एवं 'बी' में उत्तीर्णता के प्रावधानों को विलोपित करते हुए विभाग द्वारा AICTE नीति के आलोक में प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र की मान्यता नियुक्ति के मामले में नहीं देने का निर्णय लिया जाता है।

3. विभागीय अधिसूचना सं०-554 दिनांक-01.04.2022 में निहित अन्य कंडिकाओं की शर्तें यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2022

अधि० सं०-02/स्था०श्र०नि०प्र० (नियो०)-02/2015श्र०नि०-1790--श्री राहुल कुमार नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, सिन्दरी को नियोजन पदाधिकारी (सेमी यूनिट), निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

अधि० सं०-02/स्था०श्र०नि०प्र०(नियो०)-02/2015श्र०नि०-1790—श्री आनन्द कुमार, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, धनबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय, सिन्दरी का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के उप सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2022

अधि०सं०-01/स्था०श्र०नि०प्र०-7-16/12श्र.नि.-1547--श्री शिवानन्द लागुरी, कारखाना निरीक्षक, राँची अंचल-1 अतिरिक्त प्रभार कारखाना निरीक्षक, डाल्टेनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक, गिरिडीह का प्रभार अगले आदेश तक सौंपा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

1 नवम्बर, 2022

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1652--श्री रवि शंकर, श्रम अधीक्षक, गिरिडीह को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, गिरिडीह एवं श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, गिरिडीह का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1653--श्री अनिल कुमार रंजन, श्रम अधीक्षक, हजारीबाग, अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक, हजारीबाग एवं श्रम अधीक्षक, कोडरमा को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक, हजारीबाग का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1654--श्री प्रवीण कुमार, श्रम अधीक्षक, बोकारो-1 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, बोकारो-2 एवं श्रम अधीक्षक, धनबाद-3 को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, बोकारो थर्मल का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1655--श्री राजेश प्रसाद, संयुक्त श्रमायुक्त सह-अपर निबंधक, श्रमिक संघ, झारखण्ड, राँची, अतिरिक्त प्रभार उप श्रमायुक्त, अनुश्रवण मुख्यालय एवं उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त जमशेदपुर का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1656--श्री अविनाश कृष्ण, श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, राँची अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, राँची-1 को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1657--श्री पुनीत मिंज, श्रम अधीक्षक, गुमला अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, सिमडेगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, गुमला का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1658--श्री एतवारी महतो, श्रम अधीक्षक, पलामू अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, गढवा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, पलामू का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1659--श्री शैलेन्द्र कुमार शाह, श्रम अधीक्षक, देवघर अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, जामताड़ा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, देवघर का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

अधि०सं०-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II)श्र.नि.-1660--श्री धीरेन्द्र नाथ महतो, श्रम अधीक्षक, साहेबगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, साहेबगंज का प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के उप सचिव।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2022

संख्या-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2008/2005(खंड)श्र०नि०-1534--राज्यकर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची-2981/वि0 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानान्तर्गत विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2022 को सम्पन्न विभागीय संविक्षा समिति/विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण सेवा संवर्ग (प्राचार्य) के सेवानिवृत्त/कार्यरत प्राचार्य/सहायक निदेशक को उनके सेवा में योगदान की तिथि से 12/24 एवं 10/20/30 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूरी कर लिए जाने के फलस्वरूप क्रमशः सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत संलग्न परिशिष्ट-I के स्तम्भ-6 एवं 7 में अंकित वेतनमान में प्रथमद्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण पूर्णतः औपबंधिक है तथा वेतन निर्धारण का वैचारिक लाभ दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है; जबकि वास्तविक लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा। दूसरे शब्दों में दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा।
 3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।
 4. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/संकल्पों में निहित प्रावधानानुसार सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतनमान में वेतन का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. वित्त विभाग प्रशासी विभाग के द्वारा प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ को संशोधित अथवा निरस्त करने में पूर्णतया सक्षम है। इस संबंध में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
 6. किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी।
 7. वित्तीय उत्क्रमण से लाभान्वित सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त के बकाया वेतनादि के अन्तर की राशि का भुगतान पूर्वकक्षित (Pre Audit) विपत्र के माध्यम से की जाएगी।
 8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनु0-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट-I

1. सेवानिवृत्त/कार्यरत प्राचार्य/सहायक निदेशक को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/ संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उत्क्रमणः

2.

क्र०	नाम, पदनाम, GPF No.	जन्म तिथि	सेवारंभ की तिथि	पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० में वेतनमान एवं तिथि	अनुशंसित ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि	अनुशंसित एम०ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि
1	2	3	4	5	6	7

1	श्रीमती अंजु अग्रवाल, सहायक निदेशक, मु०, राँची। BHR/BLS/411	19-12-70	03-12-99	प्रथम एम०ए०सी०पी०) वेतमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/-PB-II (03.12.2009 के प्रभाव से)		(द्वितीय एम०ए०सी०पी०) 15600-39100/- GP-5400/- PB – III Level – 10 (03.12.2019 के प्रभाव से)
2	श्री जयकांत प्रसाद सिंह सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुमका BHR/BLS/409	01-07-62	01-12-99	प्रथम एम०ए०सी०पी०) वेतमान 9300-34800 ग्रेड पे०-5400/-PB-II (03.12.2009 के प्रभाव से)		(द्वितीय एम०ए०सी०पी०) 15600-39100/- GP-5400/- PB – III Level – 10 (03.12.2019 के प्रभाव से)
3	श्री दलवीर सिंह भौरिया, सेवानिवृत्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डाल्टेनगंज PAL/LAB/409	17-11-57	21-02-95	(प्रथम ए०सी०पी०) 10000-15200/- 21.02.2007 (21.02.2007 के प्रभाव से)		(द्वितीय एम०ए०सी०पी०) 15600-39100/- GP-5400/- PB – III Level – 12 (21.02.2017के प्रभाव से)

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2022

- संख्या-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2008/2005(खंड)श्र०नि०-1553--राज्यकर्मियों** को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची-2981/वि० दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानान्तर्गत विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2022 को सम्पन्न विभागीय संविक्षा समिति/विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के सेवानिवृत्त/कार्यरत मुख्य कारखाना निरीक्षक/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/कारखाना निरीक्षक/वाष्पित्र निरीक्षक को उनके सेवा में योगदान की तिथि से 12/24 एवं 10/20/30 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूरी कर लिए जाने के फलस्वरूप क्रमशः सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत संलग्न परिशिष्ट-II के स्तम्भ-6 एवं 7 में अंकित वेतनमान में प्रथमद्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।
2. सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण पूर्णतः औपबंधिक है तथा वेतन निर्धारण का वैचारिक लाभ दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है; जबकि वास्तविक लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा। दूसरे शब्दों में दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा।
3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।
4. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/संकल्पों में निहित प्रावधानानुसार सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतनमान में वेतन का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वित्त विभाग प्रशासी विभाग के द्वारा प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ को संशोधित अथवा निरस्त करने में पूर्णतया सक्षम है। इस संबंध में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
6. किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी।

7. वित्तीय उत्क्रमण से लाभान्वित सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त के बकाया वेतनादि के अन्तर की राशि का भुगतान पूर्वकक्षित (Pre Audit) विपत्र के माध्यम से की जाएगी।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट-I

1. सेवानिवृत्त /कार्यरत मुख्य कारखाना निरीक्षक/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/कारखाना निरीक्षक/वाष्पित्र निरीक्षक को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उत्क्रमण:-

क्र०	नाम, पदनाम, GPF No.	जन्म तिथि	सेवारंभ की तिथि	पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० में वेतनमान एवं तिथि	अनुशंसित ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि	अनुशंसित एम०ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य कारखाना निरीक्षक BHR/BLS/279	16-05-60	02-04-90	प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान रू०-10000-15200 एवं दिनांक- 02.04.2010 के प्रभाव से वेतनमान रू० 15600-39100 पी०बी०-III III ग्रेड पे०-7600 में स्वीकृत		दिनांक- 02.04.2020 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान 37400-67000 PB-IV ग्रेड पे०-8900 (लेवल-13 क)

2	श्री ब्योमकेश अमरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर BHR/BLS/278	26-11-60	02-04-90	प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान रू०-10000-15200 एवं दिनांक- 02.04.2010 के प्रभाव से वेतनमान रू० 15600-39100 पी०बी०-III III ग्रेड पे०- 7600 में स्वीकृत		दिनांक- 02.04.2020 के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान 37400- 67000 PB-IV ग्रेड पे०-8900 (लेवल-13)
3	श्री मनीष कुमार सिन्हा, कारखाना निरीक्षक, सरायकेला- खरसावा अंचल-2 110010558036	04-08-80	19-11-07	-		दि०-19.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान 15600- 39100 PB-III ग्रेड पे०-5400 (लेवल-10)
4	श्री विनीत कुमार सिंह, कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल-1 11060555416	31-12-73	19-11-07	-		दि०-19.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान 15600- 39100 PB-III ग्रेड पे०-5400 (लेवल-10)
5	श्री शिवानंद लांगुरी, कारखाना निरीक्षक, राँची अंचल-1 110030558035	26-12-71	19-11-07	-		दि०-19.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान 15600- 39100 PB-III ग्रेड पे०-5400 (लेवल-10)
6	श्री रणविजय तिग्गा, कारखाना निरीक्षक,	12-03-73	19-11-07	-		दि०-19.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी०

	हजारीबाग अंचल-1 110040555417					वेतनमान 15600-39100 PB-III ग्रेड पे0-5400 (लेवल-10)
7	श्री धीरेन्द्र सिंह मुण्डा, कारखाना निरीक्षक, बोकारो, अंचल-1 110080555415	01-10-75	19-11-07	-		दि०-19.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान 15600-39100 PB-III ग्रेड पे0-5400 (लेवल-10)
8	स्व० राजेन प्रताप तिग्गा, वाष्पित्र निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल-1 110050558034	15-12-72	26-11-07			दि०-26.11.2017 के प्रभाव से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान 9300-34800 PB-II ग्रेड पे0-5400 (लेवल-9)

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2022

संख्या-01/स्था०श्र०नि०प्र०-2008/2005(खंड)श्र०नि०-1515--राज्यकर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची-2981/वि० दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानान्तर्गत विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2022 को सम्पन्न विभागीय संविक्षा समिति/विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग के सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त को उनके सेवा में योगदान की तिथि से 12/24 एवं 10/20/30 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूरी कर लिए जाने के फलस्वरूप क्रमशः सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत संलग्न परिशिष्ट-1 के स्तम्भ-6 एवं 7 में अंकित वेतनमान में प्रथमद्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है।

2. सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण पूर्णतः औपबन्धिक है तथा वेतन निर्धारण का वैचारिक लाभ दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है; जबकि वास्तविक लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा। दूसरे शब्दों में दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा।

3. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।

4. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/संकल्पों में निहित प्रावधानानुसार सुनिश्चित/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमित वेतनमान में वेतन का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग प्रशासी विभाग के द्वारा प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का लाभ को संशोधित अथवा निरस्त करने में पूर्णतया सक्षम है। इस संबंध में वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त वित्तीय उन्नयन से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एकमुश्त वसूली प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी।

7. वित्तीय उत्क्रमण से लाभान्वित सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त के बकाया वेतनादि के अन्तर की राशि का भुगतान पूर्वकैक्षित (Pre Audit) विपत्र के माध्यम से की जाएगी।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश
से

रेज्युस बाढ़,
सरकार के अवर सचिव।

परिशिष्ट-I

1. सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उत्क्रमण:-

2.

क्र०	नाम, पदनाम, GPF No.	जन्म तिथि	सेवारंभ की तिथि	पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० में वेतनमान एवं तिथि	अनुशंसित ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि	अनुशंसित एम०ए०सी०पी० के तहत उत्क्रमित वेतनमान एवं देय तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अखिलेश कुमार, सेवानिवृत्त उप श्रमायुक्त BHR/BLS/97	27-06-1952	07-04-1978	(प्रथम ए०सी०पी०) वेतमान 10000-15200 (09.08.1999 के प्रभाव से) (द्वितीय ए०सी०पी०) वेतमान 15600-39100 ग्रेड पे०-7600/-PB – III (07.04.2002 के प्रभाव से)		(तृतीय एम०ए०सी०पी०) 37400-67000/- GP-8700/- PB – IV Level – 13 (01.09.2008 के प्रभाव से)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAJU KUMAR DANGI अन्य नाम RAJU KUMAR पिता NARAYAN RAM DANGI, शपथ पत्र सं० 2481, दिनांक 7 जुलाई, 2022 के अनुसार RAJU KUMAR DANGI के नाम से जाना जाऊँगा ।

RAJU KUMAR DANGI एवं RAJU KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - BARKI PONA,
P.O.- BARKI PONA,
P.S. - RAJRAPPA,
DIST.- RAMGARH,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं VIJAY SAH अन्य नाम PURAN SAH पिता JALDHAR SAH, शपथ पत्र सं० 944, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के अनुसार VIJAY SAH के नाम से जाना जाऊँगा ।

VIJAY SAH एवं PURAN SAH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - P.O.- SUKHARI, MAHAGAMA,
P.S. - MEHRAMA,
DIST.- GODDA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BALESHWAR KERKETTA अन्य नाम BALESHWAR CURICUTTA पिता Late CHAITA KERKETTA, शपथ पत्र सं० 603, दिनांक 9 जून, 2022 के अनुसार BALESHWAR KERKETTA के नाम से जाना जाऊँगा।

BALESHWAR KERKETTA एवं BALESHWAR CURICUTTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - GANESHPUR, DEEPA,
P.O.- ARMY,
P.S. & DIST.- GUMLA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUVADRA DEVI अन्य नाम SAHODRA DEVI पति Late RAM RATAN LAL, शपथ पत्र सं० 327, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के अनुसार SUVADRA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SUVADRA DEVI एवं SAHODRA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - CHURCH ROAD,
DALPATTI THANA LOWER BAZAR,
RANCHI, G.P.O.,
RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MAHENDRA KUMAR, KAUSHIK KUMAR (अन्य नाम BANTI KUMAR) का पिता, शपथ पत्र सं० 045, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा KAUSHIK KUMAR के नाम से जाना जायेगा ।

KAUSHIK KUMAR एवं BANTI KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- GHARWATAND,
P.O. - CHAMPI,
P.S. - PETARBAR,
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUSHWAHA SHIVCHARAN MEHTA अन्य नाम SHIVCHARAN MAHTO पिता Late SHATRUDHAN MAHTO, शपथ पत्र सं० 2002, दिनांक 4 नवम्बर, 2022 के अनुसार KUSHWAHA SHIVCHARAN MEHTA के नाम से जाना जाऊँगा ।

KUSHWAHA SHIVCHARAN MEHTA एवं SHIVCHARAN MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- H NO.- 42, GURU,
P.O.- GURU,
P.S. - RATU,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DINESH KUMAR PATHAK, NIHARIKA KUMARI (अन्य नाम PIKU RANI) का पिता, शपथ पत्र सं० 0796, दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी NIHARIKA KUMARI के नाम से जानी जायेगी।

NIHARIKA KUMARI एवं PIKU RANI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- V LOHRI,
P.O.- DHAWADIH,
P.S. - LESLIGANJ,
DIST.- PALAMU,
PIN - 822126
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ANIL KUMAR, SWEETY SHARMA (अन्य नाम KHUSHI KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 01, दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी SWEETY SHARMA के नाम से जानी जायेगी।

SWEETY SHARMA एवं KHUSHI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- SUJANPUR,
P.O.- KODERMA,
P.S. - KODERMA,
DIST.- KODERMA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRITAM अन्य नाम PRITAM SK पिता Late EDWARD SELESTINE, शपथ पत्र सं० 395, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के अनुसार PRITAM के नाम से जाना जाऊँगा ।

PRITAM एवं PRITAM SK दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- MANDAR,
P.O.& P.S. - MANDAR,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835214
JHARKHAND.

PRESENT RESIDENT OF - VILL.- SUNDIL,
P.O. - KAMRE,
P.S. - RATU,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835222
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं AJAY KUMAR अन्य नाम MEWALAL MAHTO पिता SRI ISHWAR MAHTO, शपथ पत्र सं० 1138, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के अनुसार AJAY KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

AJAY KUMAR एवं MEWALAL MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - KHODHANATAND, POPLO,
TARANARI,
DIST.- BOKARO,
PIN - 828403
JHARKHAND.

PRESENT RESIDENT OF - QTR. NO. - 1198,
STREET - 04,
SECTOR - VIII/A,
P.O. - SECTOR - IX,
P.S. - HARLA,
DIST.- BOKARO,
PIN - 827009
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANGRI KUNWAR अन्य नाम DULARI KUNWAR पति Late MANOGA YADAV, शपथ पत्र सं० 3468, दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के अनुसार MANGRI KUNWAR के नाम से जानी जाऊँगी ।

MANGRI KUNWAR एवं DULARI KUNWAR दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL.- MARAN,
P.O. - MARAN,
P.S. - PANKI,
DIST.- PALAMU,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANJAY KUMAR THAKUR, PURAHAN THAKUR (अन्य नाम ASHISH KUMAR THAKUR) का पिता, शपथ पत्र सं० 4904, दिनांक 18 अगस्त, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा PURAHAN THAKUR के नाम से जाना जायेगा ।

PURAHAN THAKUR एवं ASHISH KUMAR THAKUR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - SAKET NAGAR,
HINOO BESIDE HINOO UNITED MIDDLE SCHOOL,
POKHARTOLI HINOO,
P.O.& P.S. - DORANDA,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834002
JHARKHAND.
